XXX-Part.—24

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 1.7.1.9.5...

यह प्रमाणित किया जाता है कि सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश
समिति जो 94 सी राजेन्द्र नगर, तहसील इन्दौर,
इन्दौर
जिला इन्दौर में स्थित है, मध्यप्रदेश
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४)
के अधीन 7/10/86 को पंजीयित की गई है।

दिनांक सात माह अक्टूबर सन् १९८६.

मुद्रा

अध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान
म. प्र. भोपाल

समितियों के रजिस्ट्रार

जावक क्रमांक 2029/25
जावक दिनांक 22/9/25

प्रारूप सात
(नियम 11 देखिए)

"मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा-27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम पूरा पता मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. : सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश, हर्षवर्धन नगर, भोपाल-462003 8517035611, vidyabhartibpl@gmail.com
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : 17195 दिनांक 07.10.1986
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख : 29.6.25
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची (संलग्न है) : कार्यकाल 2023 से 2026 तक

क्र	नाम पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नं.	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री मोहनलाल गुप्ता/ श्री नाथूराम गुप्ता	एल.आई.जी.133 कॉटरा, भोपाल	9406532980, 07747006782	अध्यक्ष	समाजसेवा	
2	श्री बनवारी लाल सक्सेना/ स्व. श्री प्रभुदयाल सक्सेना	ए-103, प्रथम तल, ए ब्लॉक, तुलसी टावर शिवाजी नगर भोपाल	9425600161	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त	
3	डा. आशीष जोशी/ स्व.श्री मदनलाल जोशी	ए-9/204 ब्लू स्कॉय हाई राइज आकृति इकोसिटी बावड़िया कला, भोपाल-462039	9428400000	उपाध्यक्ष	निदेशक माखनलाल चतुर्वेदी रा. पत्रकारिता वि.वि. भोपाल	
4	श्रीमती राजश्री बैद्य/ श्री मनोज बैद्य	सिविल अस्पताल के पीछे, विदिशा	9827369954	उपाध्यक्ष	शिक्षा विभाग	
5	श्री शिरोमणि दुबे/ श्री कैलाशनाथ दुबे	दलवी कालोनी अरण्या स्कूल के पास, गुना	9425191526	सचिव	सेवानिवृत्त	
6	प्रो. नीलाभ तिवारी/ श्री महेन्द्र कुमार तिवारी	101 कुंजन नगर, भोपाल	9827221055	सहसचिव	शिक्षा विभाग	
7	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी/ श्री प्रतापनारायण त्रिपाठी	6/31 शहीद कालोनी व्यावरा जिला राजगढ	9425037754	सहसचिव	अधिवक्ता	
8	श्री महेन्द्र रघुवंशी स्व. श्री लक्ष्मणसिंह रघुवंशी	नई मण्डी रोड़ नानाखेड़ी गुना	9425758615	सहसचिव	सेवा निवृत्त शिक्षक	
9	श्री मुकेश राजपूत/ श्री रघुवीरसिंह राजपूत	312 , डीमार्ड के ऊपर, थर्ड फ्लोर जहांगीराबाद, भोपाल	9893399094	कोषाध्यक्ष	सी.ए.	
10	श्री राजेश शुक्ला/ स्व.श्री शिवकुमार शुक्ला	ग्वालियर	9826038849	सदस्य	अधिवक्ता	
11	श्री संदीप केकरे स्व. श्री शशिकान्त केकरे	1032 वंसत विहार गणेश चौक, हरदा	9425041550	सदस्य	कृषक	Sandeep
12	श्री कुंजबिहारी चतुर्वेदी स्व. श्री बृजकिशोर चतुर्वेदी	हाथीखाना शिवपुरी	9425489308	सदस्य	सेवा निवृत्त सिविल इंजी.	
13	श्री विवेक वर्मा स्व. श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा	कन्या महाविद्यालय के पीछे, माहौर कॉलोनी, मुरैना- 476001	9827628662	सदस्य	व्याख्याता शास. सेवा	
14	श्रीमती सुनीता चौहान/ पति श्री लोकेन्द्र सिंह चौहान	शिवाजी नगर, भोपाल	9179807779	सदस्य	शास. शिक्षिका	
15	श्रीमती रश्मि रघुवंशी पति श्री महेन्द सिंह रघुवंशी	वार्ड न. 2, महात्मा बाड़े के पीछे शर्मा कालोनी, अशोकनगर	7974300209	सदस्य	शास. शिक्षिका	
16	श्री निखिलेश माहेश्वरी/ श्री मोहनलाल माहेश्वरी	1806 प्रज्ञादीप हर्षवर्धन नगर, भोपाल	9425088462	पदेन सदस्य	समाजसेवा	
17	श्री अनिल अग्रवाल/ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	स.शि.म. भारत भारती बैतूल	9425429647, 7694800257	पदेन सदस्य	समाजसेवा	
18	श्री रामकुमार भावसार/ स्व.श्री बाबूलाल भावसार	1806 प्रज्ञादीप हर्षवर्धन नगर, भोपाल	9926418800	पदेन सदस्य	प्रान्त प्रमुख	

अध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान
म.प्र. भोपाल

मंगला पुरुषाम
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें, भोपाल
नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

2967/17
04/04/18

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश का विधान (संशोधित)

1. नाम:-

इस संस्था का नाम "सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश" होगा, जिसका उल्लेख आगे यथा-स्थान "प्रतिष्ठान" से किया गया है।

2. कार्यालय:-

प्रतिष्ठान का कार्यालय "प्रज्ञादीप" हर्षवर्धन नगर, भोपाल-462003 जिला-भोपाल, मध्यप्रदेश" में होगा।

3. कार्यक्षेत्र:-

प्रतिष्ठान का कार्यक्षेत्र समग्र मध्यप्रदेश रहेगा।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 12195
रजिस्ट्रेशन दिनांक 2.10.86
संशोधन दिनांक 12/12/12

4. उद्देश्य:-

4.1 भारतीय जीवन दर्शन, धर्म, संस्कृति, इतिहास एवं परम्परा के अनुरुप संस्कारक्षम प्रणाली पर आधारित एवं आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की बालक-बालिकाओं के लिये व्यवस्था करना।

4.2 शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रयोग, शोध एवं अनुसंधान द्वारा अपने देश के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का विकास करना।

4.3 बालक-बालिकाओं के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु योगाधिष्ठित पंचमुखी शिक्षा की व्यवस्था करना।

4.4 विज्ञान के अधुनातन अनुसंधानों एवं उपादानों की शिक्षा देकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके प्रयोग का कौशल विकसित करना।

4.5 समान विचारधारा एवं कार्यप्रणाली से चलने वाली प्रादेशिक एवं अखिल भारतीय संस्थाओं से सम्बद्धता स्थापित कर परस्पर सहयोग से भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं प्रसार करना।

4.6 इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक नियम, विनियम बनाना एवं समस्त वांछनीय कार्य करना।

5. कार्यकलाप:-

उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रतिष्ठान द्वारा निम्नांकित कार्य किये जाएंगे:-

5.1 प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा एवं संस्कार प्रदान करने वाले विविध प्रकार एवं स्तर के विद्यालय, महाविद्यालय आदि संस्थाएँ संचालित की जायेगी।

5.2 प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश में बालक-बालिकाओं को शिक्षा एवं संस्कार देने का कार्य करने वाले विविध प्रकार एवं स्तर के विद्यालयों को प्रतिष्ठान द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। ग्रामीण, वनवासी आदि विकासशील क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार हेतु कार्यरत संस्थाओं को "संस्थागत सम्बद्धता" प्रदान की जायेगी।

5.3 सम्बद्ध विद्यालयों में समान रूप से उच्च शैक्षणिक स्तर बनाये रखने के लिये प्रादेशिक स्तर पर परीक्षा व्यवस्था, सहपाठ्य विषयों के पाठ्यक्रम, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं एवं सामग्री का प्रकाशन एवं विभिन्न सम्मेलन, शिविर, वर्ग आदि कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

5.4 आचार्यों के विकास हेतु उनके प्रशिक्षण वर्ग, प्रशिक्षण विद्यालय आदि संचालित किये जायेंगे।

5.5 बालक-बालिकाओं के लिये व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, दृश्य-श्रव्य केन्द्र, ललितकला केन्द्र आदि चलाये जायेगें।

5.6 ग्रामीण, वनवासी, गिरिवासी आदि शैक्षिक दृष्ट्या, अविकसित अंचलों के लिए विद्यालय, संस्कार केन्द्र आदि विशेष प्रकल्प चलाये जायेंगे।

अध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

प्रादेशिक सचिव
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

कोषाध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

5.7 इस योजना में समर्पित भाव से कार्यरत आचार्यों, कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं के योगक्षेम हेतु कल्याण-कार्य संचालित किये जायेंगे।

5.8 पूर्वोक्त विविध स्त्रोतों से आर्थिक सहयोग ऋण, दान आदि प्राप्त करना तथा समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहयोग ऋण, दान आदि प्रदान करना।

रजिस्ट्रेशन नं. 12195
रजिस्ट्रेशन दिनांक 2/10/86
संशोधन दिनांक 12/2/17
असि. रजिस्ट्रार

6. सदस्यता:-

प्रतिष्ठान के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:-

6.1 **स्थायी सदस्य:** प्रतिष्ठान की स्थापना करने वाले सदस्य "स्थायी सदस्य" कहलायेगें। स्थायी सदस्यों की समस्त संख्या पन्द्रह होगी। कोई स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति शेष स्थायी सदस्यों द्वारा बहुमत से की जायेगी।

6.2 **संरक्षक सदस्य:** प्रतिष्ठान को जो व्यक्ति सदस्यता शुल्क के रूप में एक राशि में रूपये दस हजार देंगे, वह "संरक्षक सदस्य" होंगे। उनकी सदस्यता उनके जीवन पर्यन्त होंगी।

6.3 **आजीवन सदस्य:** प्रतिष्ठान को जो व्यक्ति सदस्यता शुल्क के रुप में एक राशि में रूपये एक हजार देंगे, वह "आजीवन सदस्य" होंगे। शेष राशि देकर वह संरक्षक सदस्य हो सकेंगे।

6.4 प्रतिष्ठान को वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में 50 रूपये प्रतिवर्ष देने वाले साधारण सदस्य कहलायेगें।

6.5 **सम्मानित सदस्य:** संचालन समिति किन्हीं व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा, समाज सेवा, उपयोगिता आदि की दृष्टि से "सम्मानित सदस्य" उचित कार्यकाल के बना सकते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

6.6 **पदेन सदस्य:** विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा मनोनीत संगठन मंत्री प्रतिष्ठान का पदेन सदस्य होगा।

7. सदस्यता प्राप्त की प्रक्रिया:

7.1 सदस्य बनने के अभिलाषी व्यक्ति, जो सच्चरित्र हो, वयस्क नागरिक हो तथा प्रतिष्ठान के उद्देश्य एवं कार्यों से सहमत हो, के नाम का प्रस्ताव संचालन समिति के दो घटकों द्वारा किया जायेगा।

7.2 सदस्यता प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ संचालन समिति के सम्मुख आवेदन करना होगा।

7.3 आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का संचालन समिति को अधिकार होगा, जिसका कारण देने की बाध्यता नहीं रहेगी।

8. सदस्यता की समाप्ति:

निम्नलिखित दशा में सदस्यता समाप्त हो जायेगी:

क. त्याग पत्र स्वीकृत होने पर।

ख. मृत्यु अथवा शरीर से असहाय होने पर।

ग. दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।

घ. किसी चारित्रिक अपराध के कारण कारावास का दण्ड पाने पर।

ड. नियोजन की समाप्ति होने पर।

च. प्रतिष्ठान के लिये हानिकर गतिविधियों के कारण संचालन समिति की समग्र संख्या के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर।

अध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश

प्रादेशिक सचिव
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

कोषाध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

9. सदस्यता पंजी:

प्रतिष्ठान के कार्यालय में सदस्यता पंजी रखी जायेगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण अंकित किया जायेगा:

क. प्रत्येक सदस्य का नाम, व्यवसाय तथा पता।

ख. सदस्यता प्रवेश दिनांक, शुल्क एवं पावती क्रमांक।

ग. सदस्यता समाप्ति का विवरण एवं दिनांक।

10. साधारण सभा:

10.1 अधिकरण 6 में वर्णित सभी श्रेणी के सदस्यों को मिलाकर एक "साधारण सभा होगी, जिसमें प्रतिष्ठान की समस्त शक्तियाँ निहित होगी।

10.2 साधारण सभा की बैठकें आवश्यकतानुसार होगी, किन्तु वर्ष में एक बार अनिवार्यतः होगी।

10.3 बैठक का स्थान एवं समय संचालन समिति द्वारा निश्चित किया जा कर पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जायेगी।

10.4 बैठक की गण पूरक संख्या समस्त संख्या के 1/5 होगी।

10.5 प्रतिष्ठान की प्रथम साधारण सभा पंजीयन दिनांक से तीन मास के भीतर आमंत्रित की जायेगी, जिसमें पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जायेगा।

दृष्टव्यः- यदि निर्धारित अवधि में साधारण सभा का आयोजन न हुआ, तो पंजीयक को अधिकार होगा कि सभा का आयोजन किसी उत्तरदायी अधिकारी के मार्गदर्शन में करा कर पदाधिकारियों का निर्वाचन सम्पन्न करा दें।

11. साधारण सभा के कार्य एवं दायित्वः

11.1 प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के अनुरूप नीति निर्धारित करना।

11.2 वार्षिक प्रगति विवरण स्वीकृत करना।

11.3 प्रतिष्ठान की स्थायी निधि एवं सम्पत्ति की समुचित व्यवस्था करना।

11.4 अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक स्वीकृत करना।

11.5 वार्षिक अर्थ-संकल्प (बजट) स्वीकृत करना।

11.6 आगामी वर्ष के लिये अंकेक्षक नियुक्त करना।

11.7 अधिकरण 12 के अनुसार संचालन समिति का निर्वाचन करना।

11.8 अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना, जो संचालन समिति द्वारा प्रस्तुत हों।

12. संचालन समितिः

12.1 प्रतिष्ठान के कार्य संचालन हेतु साधारण सभा द्वारा संचालन समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें कुल 17 सदस्य होंगे:

क. स्थायी सदस्यों में से आठ प्रतिनिधि।

ख. संरक्षक सदस्यों में से दो प्रतिनिधि।

ग. आजीवन सदस्यों में से दो प्रतिनिधि।

घ. साधारण सदस्यों में से तीन प्रतिनिधि।

ड. विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त संगठन मंत्री एवं सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. द्वारा नियुक्त प्रान्त प्रमुख पदेन सदस्य होंगे।

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज भोपाल

सहायक रजिस्ट्रार 12/9/13
रजिस्ट्रेशन दिनांक 2/10/86
संशोधन दिनांक 12/9/13
सहा. रजिस्ट्रार

अध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश

प्रादेशिक सचिव
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र.

सहायक रजिस्ट्रार
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र.

दृष्टव्यः किसी श्रेणी के सदस्यों के अभाव में रिक्त स्थान की पूर्ति स्थायी सदस्यों में से की जायेगी।

12.2 संचालन समिति का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।

12.3 संचालन समिति के निर्वाचन के अनन्तर निर्वाचित घटक अपने में से निम्नांकित नौ पदाधिकारी निर्वाचित करेंगे, जो साधारण सभा के भी पदाधिकारी होंगेः 1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष (3 पद), 3. कोषाध्यक्ष, 4. प्रादेशिक सचिव, 5. प्रादेशिक सहसचिव (3 पद), 6. सदस्य 6 एवं पदेन सदस्य 2

12.4 संचालन समिति के कार्यकाल में रिक्त हुए किसी स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिये संचालन समिति द्वारा की जा सकेगी।

12.5 संचालन समिति की आवश्यकतानुसार बैठकें होगी, किन्तु वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें अनिवार्यतः होगी।

12.6 बैठक की गणपूरक संख्या समस्त संख्या की 1/2 होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक आधे घंटे के बाद बिना गणपूर्ति के की जा सकेगी, किन्तु उसमें पूर्व-निर्धारित विषयों पर ही विचार हो सकेगा।

12.7 संचालन समिति सम्बद्ध विद्यालयों की संचालन समिति के पदाधिकारियों, प्राचार्यों/ प्रधानाचार्यों को भी आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

साधारणी ... 12198
रजिस्ट्रेशन दि... 7-10186
संशोधन दिनांक... 12/2/12
असि. रजिस्ट्रार

13. संचालन समिति के कार्य एवं दायित्वः

13.1 संचालन समिति प्रतिष्ठान की मुख्य कार्यपालक समिति होगी तथा एतदर्थ समस्त अधिकार उसमें निहित होगे।

असि. रजिस्ट्रार ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

13.2 प्रतिष्ठान के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों की पूर्ति हेतु समस्त प्रयास एवं व्यवस्था करना।

13.3 सम्बद्ध संस्थाओं के निरीक्षण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन का प्रबन्ध कर उस हेतु आवश्यक नियुक्ति आदि करना।

13.4 विद्यालयों की सम्बद्धता हेतु नियमावली तथा एकरूपता हेतु सेवा संहिता एवं निरीक्षण, पाठ्यचर्या, परीक्षा आदि के लिये नियम उपनियम बनाकर उनका पालन करना एवं कराना तथा प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यकतानुसार नियम-उपनियम बनाना।

13.5 समय-समय पर सम्मेलन, परिसंवाद, कार्यगोष्ठी आदि आयोजित कर शिक्षा पर विचार विमर्श करना।

13.6 कौशल विकास हेतु विविध प्रकार के विकास शिविर, अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग आचार्यों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के लिये आयोजित करना तथा प्रशिक्षण विद्यालय का संचालन करना।

13.7 कार्य-सम्पादन हेतु आचार्य, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, अधिकारी, कर्मचारी आदि की नियुक्ति, विमुक्ति स्थानांतरण आदि का नियमन करना।

13.8 आवश्यकतानुसार विभिन्न पदों का सृजन कर उनके वेतन, सेवा नियम आदि निर्धारित करना।

13.9 कार्य-सम्पादन हेतु समितियों, उपसमितियों का गठन कर उनके कार्यक्षेत्र, कर्त्तव्य, अधिकार आदि निर्धारित करना। उद

13.10 प्रतिष्ठान के कार्य हेतु शुल्क, दान, अनुदान, सुरक्षा निधि, सहायता, ऋण आदि प्राप्त करना तथा समान उद्देश्यों वाली संस्था एवं सम्बद्ध विद्यालयों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना।

13.11 वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित आय-व्यय एवं अर्थ संकल्प साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना एवं व्यय के भुगतान की स्वीकृति देना।

13.12 वे समस्त कार्य करना, जो प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वांछनीय हो।

13.13 प्रतिष्ठान के विभिन्न अधिकारियों अथवा नियोजित प्रतिनिधियों को संचालन समिति अपने कतिपय अधिकार सौंप सकेगी।

अध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश

प्रादेशिक सचिव
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र., भोपाल

14. पदाधिकारियों के कर्त्तव्याधिकार:

14.1 अध्यक्ष:

14.1.1 प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित नीति के अनुसार हो इस हेतु आवश्यक देखरेख तथा मार्गदर्शन करना।

14.1.2 साधारण सभा एवं संचालन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

14.1.3 समान मतदान होने पर अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

14.1.4 आवश्यकतानुसार एवं स्वविवेक से बैठक आयोजित करना।

14.1.5 प्रादेशिक सचिव की सहमति से प्रतिष्ठान की निधि व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार निधि प्रमुख को नियुक्त करना।

14.2 उपाध्यक्ष:

14.2.1 अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना एवं उनके द्वारा नियत कार्य करना।

14.2.2 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त दायित्वों का निर्वाह करना।

14.3 प्रादेशिक सचिव:

14.3.1 प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाते समस्त कार्यों के समुचित संचालन का दायित्व वहन करना।

14.3.2 संचालन समिति द्वारा प्रदत्त दायित्वों का वहन एवं उसके निर्णयों का क्रियान्वयन करना एवं कराना।

14.3.3 बैठकों का आयोजन करना एवं उनकी कार्यवाही का अभिलेख रखना।

14.3.4 प्रतिष्ठान की ओर से समस्त पत्राचार करना एवं कार्यालयीन अभिलेख एवं लेखा आदि के सुव्यवस्थित रखरखाव का प्रबंध करना।

14.3.5 प्रतिष्ठान की ओर से न्यायालयीन कार्य करना तथा कराना।

14.3.6 प्रतिष्ठान की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा, सम्वृद्धि एवं सदुपयोग का प्रबंध करना।

14.3.7 संचालन समिति द्वारा निर्धारित सीमा में व्यय की स्वीकृति देना।

14.3.8 वार्षिक आय-व्यय लेखाओं का अंकेक्षण करवा कर प्रतिवेदन को संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

14.4 प्रादेशिक सहसचिव:

14.4.1 प्रादेशिक सचिव के कार्यों में सहयोग करना तथा उनके द्वारा नियत कार्य करना।

14.4.2 प्रादेशिक सचिव की अनुपस्थिति में उनके समस्त दायित्वों का निर्वाह करना।

14.5 कोषाध्यक्ष:

प्रतिष्ठान की धनराशि का सम्पूर्ण लेखा रखने की व्यवस्था करना।

15. बैठकें:

15.1 अधिकरण 10 एवं 12 के उपबन्धों के अनुसार साधारण सभा एवं संचालन समिति की बैठकें होगी।

15.2 विशिष्ट विषय पर विचार हेतु समग्र संख्या के दो तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित मांग किये जाने पर साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन किया जायेगा। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर उसकी प्रति पंजीयक

अध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

प्रादेशिक सचिव
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, म.प्र., भोपाल

को भेजी जायेगी, जिन्हें आवश्यक निर्देश एवं परामर्श देने का अधिकार होगा।

15.3 साधारण सभा की बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व एवं संचालन समिति की दस दिन पूर्व दी जायेगी।

15.4 आवश्यक होने पर तीन दिन की पूर्व सूचना से संचालन समिति की विशेष बैठक आमंत्रित की जा सकेगी।

15.5 आवश्यक समझने पर पंजीयक को निर्धारित विषय पर विचार हेतु साधारण सभा की बैठक आमंत्रित करने का अधिकार होगा।

16. वित्त व्यवस्थाः

प्रतिष्ठान का वित्तीय प्रबंध निम्नांकित स्त्रोतों से प्राप्त धन से होगा-

क. प्रतिष्ठान के सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क, दान आदि।

ख. सम्बद्ध संस्थाओं से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क, सुरक्षा निधि एवं वह मासिक अथवा वार्षिक शुल्क, जो संचालन समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

ग. विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं से प्राप्त दान, अनुदान, सहायता, ऋण, सुरक्षा निधि आदि।

घ. प्रतिष्ठान की चल एवं अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय।

ड़ राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान, सहायता एवं ऋण आदि।

सामान्यी रजिस्ट्रेशन 12195
रजिस्ट्रेशन दिनांक 2/10/86
संशोधन दिनांक 12/2/17

17. निधि व्यवस्थाः

17.1 प्रतिष्ठान की उपर्युक्त स्त्रोतों से प्राप्त निधि संचालन समिति द्वारा निर्धारित अधिकोष (बैंक) में रखी जायेगी।

17.2 निधि प्रतिष्ठान के नाम से रहेगी तथा संचालन समिति के विशेष संकल्प द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी उसका संचालन करेंगे।

असि. रजिस्ट्रार

18. अचल सम्पत्तिः

18.1 प्रतिष्ठान की समस्त सम्पत्ति प्रतिष्ठान के नाम से रहेगी।

18.2 अचल सम्पत्ति के क्रय, विक्रय, अर्जन एवं अन्तरण आदि का निर्णय संचालन समिति की समस्त संख्या के दो तिहाई बहुमत से लिया जायेगा।

18.3 एतत्संबंधी प्रलेखों (डॉक्यूमेंट्स) पर प्रतिष्ठान की ओर से अध्यक्ष एवं प्रादेशिक सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे।

18.4 प्रतिष्ठान द्वारा कोई अचल सम्पत्ति पंजीयक की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय, विक्रय, दान अथवा अन्य प्रकार से अर्जित अथवा अन्तरित नहीं की जायेगी।

19. कार्यवाही की वैधताः

प्रतिष्ठान की किसी समिति के गठन में कोई स्थान रिक्त होने पर भी शेष सदस्यों द्वारा की गई समस्त कार्यवाही वैध होगी।

20. व्याख्याः

इस विधान में उल्लेखित नियम-उपनियमों की व्याख्या करने का अधिकार प्रतिष्ठान की संचालन समिति को होगा, किन्तु उस संबंध में मतभेद होने पर वह बिन्दु पंजीयक के पास व्याख्या हेतु भेजा जायेगा।

21. संशोधनः

21.1 इस विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव आने पर साधारण सभा की विशेष बैठक विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित होगी।

21.2 प्रतिष्ठान के हित में विधान में संशोधन करने का पंजीयक, साख (फर्म्स) एवं संस्था को अधिकार होगा।

अध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश

प्रादेशिक सचिव
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल

सरस्वती विद्या प्रति.म.प्र., भोपाल

21.3 साधारण सभा की समस्त संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित होने पर उक्त संशोधन पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

22.4 पंजीयक के अनुमोदन के पश्चात् ही संशोधन प्रभावशील होगा।

22. विवाद:

22.1 प्रतिष्ठान के सदस्यों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर इसे साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अध्यक्ष को अधिकार होगा।

22.2 आवश्यक होने पर सम्बद्ध प्रकरण निर्णय हेतु अन्य पक्षों को मान्य विवाचक अथवा पंच. अधिकरण को सौंपा जायेगा। जिसका निर्णय मान्य किया जायेगा।

22.3 यदि इससे संतोष न हो, तो प्रकरण निर्णय हेतु पंजीयक की ओर भेजा जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

23. विघटन:

23.1 यदि कभी प्रतिष्ठान का विघटन करना आवश्यक हुआ, तो साधारण सभा में एतद् विषयक प्रस्ताव समस्त संख्या के तीन-चौथाई बहुमत से पारित होने पर ही मान्य होगा।

23.2 विघटन के पश्चात् प्रतिष्ठान की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को प्रदान कर दी जायेगी। किसी सदस्य का उस पर अधिकार नहीं होगा।

23.3 विघटन की समस्त कार्यवाही मध्यप्रदेश समिति पंजीयन एवं अधिनियम 1973, के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

रजिस्ट्रेशन दिनांक 12.95
संशोधन दिनांक 21.09.96
10/2/12

24. पंजीयक को प्रेष्य जानकारी:

24.1 पंजीयन अधिनियम, 1973 की धारा 27 के उपबन्ध के अनुसार प्रतिवर्ष साधारण सभा की वार्षिक बैठक सम्पन्न होने के अनन्तर बैठक दिनांक से पैंतालीस दिन के अंदर पंजीयक कार्यालय, भोपाल को विहित प्रारूप पर संचालन सकमति की सूची, नाम, पद, व्यवसाय , पता आदि विवरण के साथ अभिलेख हेतु भेजी जावेगी।

24.2 धारा 28 के उपबन्ध के अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिष्ठान के आय-व्यय लेखा का अंकेक्षण प्रतिवेदन भी पंजीयक को भेजा जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश के विधान की सत्य एवं शुद्ध प्रति है।

अध्यक्ष	प्रादेशिक सचिव	कोषाध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश	सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश	सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश

अध्यक्ष	प्रादेशिक सचिव	कोषाध्यक्ष
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश	सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. भोपाल	सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान,म.प्र., भोपाल

शुल्क रूपये 480 चालान न./रसीद न. 24092
दिनांक 6/1/18 पटाया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक.....

30.01.18
एम. जे. कुरेशी
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल (म.प्र.)

सहायक के हस्ताक्षर